संख्या-121/2016/2546/सैंतीस-2-2016-2(10)/2003टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-26 दिसम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा में अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के पत्र सं0-1122/लेखा/बजट(प्र.अ.)/2016-17, दिनांक-09.09.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-2383/सैंतीस-2-2012-2(10)/2003, दिनांक-30.08.2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06-पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा' के मानक मद 20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के निम्नलिखित अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित रू0-13631 हजार (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	कार्यों का विवरण	धनराशि (लाख में)
1	सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण 1051 मी0+1761 मी0	28.50
2	जलापूर्ति पाइप लाइन नलकूप, शिरोपरि टैंक 200 कि.ली. क्षमता 18 मीटर स्लेजिंग आदि का प्राविधान	38.75
3	ट्रांसफार्मर स्थापना, विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था आदि	40.00
4	जल निकासी नाली का प्राविधान	10.95
5	विश्वविद्यालय में लगभग 50 वर्ष पुराने आवासों की मरम्मत/रिनोवेशन का कार्य	5.61
6	गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा	12.50
	योग-	**136.31**

(1) उक्त धनराशि का आहरण करने हेतु वित्त अधिकारी एवं कुलपति द्वारा संयुक्त रूप से बिल पर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी.एल.ए., बैंक/डाकघर में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(10) कुलपति, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

(11) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व कुलपति, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06-पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-यू.ओ.-ई-2-1200/दस-2016, दिनांक-20.12.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-121/2016/2546(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मथुरा।
6. निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, उ.प्र.पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
9. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in